

# ORDER SHEET [Contd]

विशेष विद्युत प्र0क0 133/2012

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p><b>नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.2018</b></p> <p>परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री मौ श्री आर0एस0 गौर सहित श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता उप0।</p> <p>अभियुक्त सहित/द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता उप0।</p> <p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ।</p> <p>प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा धारा <b>138(1)ख</b> विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पत्र स्वेच्छया पूर्वक पेश कर निवेदन किया है कि इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम अपराध है एवं अभियुक्त के द्वारा नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत बिल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। अतएव लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।</p> <p>सुना गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन उचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाकर इस नेशनल लोक अदालत में अभियुक्त को धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के आरोप से <u>उन्मोचित/दोषमुक्त</u> किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है/नष्ट हो।</p> <p>आदेश की प्रति उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदाय हो।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(संजय सिंह गुर्जर एड.) (बृजराज सिंह गुर्जर एड.) (सतीश कुमार गुप्ता) सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी ख0पी0क0-18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म0प्र0</p>	<p>परिवादी पक्ष</p> <p>अभियुक्त पक्ष</p>

## ORDER SHEET [Contd]

विशेष विद्युत प्र०क्र० ...../.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p align="center"><b><u>नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.02.2018</u></b></p> <p>परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री श्री..... सहित श्री विकास कांकर अधिवक्ता उप0।</p> <p>अभियुक्त सहित श्री ..... अधिवक्ता उप0।</p> <p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश हुआ।</p> <p>प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पत्र स्वेच्छया पूर्वक पेश कर निवेदन किया है कि इस मामले में अभियुक्त के द्वारा नेशनल लोक अदालत के मान से विद्युत बिल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। अतएव लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद आगे नहीं चलाना चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।</p> <p>सुना गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में प्रस्तुत आवेदन उचित प्रतीत होने से इस नेशनल लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के आरोप से <u>उन्मोचित/दोषमुक्त</u> किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी होने की दशा में उसे अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये।</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है/नष्ट हो।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	
सदस्य	<p align="center">सदस्य</p> <p align="center">(सतीश कुमार गुप्ता)</p> <p align="center">पीठासीन अधिकारी ख0पी0क0-18</p> <p align="center">एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश</p> <p align="center">गोहद, जिला भिण्ड</p>	